33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2007/पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 477/अपील/2010-11.

---

1. सुशीलाबाई पति जगदीश माली
2. योगेश पिता जगदीश माली
3. दीपक पिता जगदीश माली
4. संगीता पिता जगदीश माली
5. सरीता पिता जगदीश माली

समस्त निवासी पटेल नगर, सनावद रोड,
खरगौन, तह. व जिला खरगौन ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. लीमडा पिता किशन माली
2. दशरथ पिता किशन माली
3. लक्ष्मण पिता किशन माली
4. जानकीदास पिता किशन माली

समस्त निवासी हनुमान मंदिर के पास,
माली पथ पोस्ट ऑफिस चौराहा, खरगौन
तहसील व जिला खरगौन, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15.5.19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील गोगांवा के समक्ष संहिता की धारा 32, 109, 110 के तहत एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम काजलपुरा पटवारी हल्का नं. 16 में खसरा क्रमांक 11 रकबा 4.795 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। यह भूमि आवेदक क्रमांक 1 के पति एवं आवेदक क्र. 2 से 5 के पिता जगदीश के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट थी। उनके पति जगदीश पिता रामलाल की मृत्यु दिनांक 22.12.2004 को हो चुकी है। आवेदक क्र. 1 के पति जगदीश एवं आवेदक क्र. 2 से 5 के पिता के नाम से कृषि भूमि होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पूर्व में उन्हें नहीं थी। जानकारी होने पर यथा समय अपने नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में पोकल दर्ज है और उन्होंने राजस्व अभिलेख में अपना नाम आवेदकगण के हक्क डुबाने की नियत से प्रविष्ट करवा लिया है। अत: अनावेदक दशरथ का नाम कम कर उसके स्थान पर आवेदकगण का नाम प्रविष्टि करने हेतु निवेदन किया गया। इस आवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 21/अ-6/2010-11 दर्ज कर दिनांक 20.12.2010 को प्रस्तुत आवेदन खारिज किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खरगौन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 30.06.2011 से निरस्त की जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.01.2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश स्थिर रखे गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक के अभिभाषक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी करते हुए आगामी पेशी दिनांक 22.12.2010 नियत की थी। इसके उपरांत आवेदक के अभिभाषक जब दिनांक 22.12.2010 को नायब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुए, तो उन्हें यह जानकारी हुई कि अनावेदकगण तहसीलदार के समक्ष दिनांक 20.12.2010 को उपस्थित होकर नायब तहसीलदार से मिलकर मौखिक आपत्ति के आधार पर आवेदकगण का आवेदन निरस्त करवा दिया, जबकि प्रकरण में पेशी दिनांक 22.12.2010 नियत थी। नायब तहसीलदार के आदेश पत्रिका को देखने से यह

स्पष्ट हो जाता है कि आवेदकगण के अभिभाषक दिनांक 22.12.2010 देने के उपरांत आदेश पत्रिका में तारीख बदलकर 20.12.2010 की गई थी। इसकी शिकायत जब आवेदकगण के अभिभाषक ने तहसीलदार को दी, तो तहसीलदार ने उस पर कोई संज्ञान ना लेते हुए आगे कार्यवाही करने हेतु कहा।

(2) आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की तथा उसमें यह प्रश्न उठाया कि अभिभाषक एवं आवेदकगण की अनुपस्थिति में अदमपैरवी में निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्रथम पेशी सुनवाई दिनांक नहीं है, वह केवल अनावेदकगण की उपस्थिति एवं उनके जवाब के लिए नियत की गई थी, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को अनावेदकगण की उपस्थिति ली जानी चाहिए थी एवं अनावेदकगण को जवाब हेतु समय दिया जाना चाहिए था, परंतु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण की इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया और उनकी अपील दिनांक 30.06.2011 को निरस्त कर दी, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण की ओर से निवेदन किया गया कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसे गुणदोषों के आधार पर निराकृत किया जाये। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को गुण-दोष के आधार पर निराकृत करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने किसी भी न्यायालय में यह प्रमाण नहीं बताया कि उनके आवेदन का आधार क्या है? किसी भी न्यायालय में ऐसा कोई भू-अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित भूमि पूर्व में आवेदकगण के पिता दिगम्बर के नाम थी। वर्तमान में भूमि केवल दशरथ पिता किशन के नाम पर है फिर उनके भाईयों को क्यों पक्षकार बनाया, यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि

अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2013, अनुविभागीय अधिकारी, खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2011 एवं तहसीलदार, तहसील गोगांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2010 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर